प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 24.06.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 26वें व 27वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 9,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 13.06.2024 को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्त रशीद पुत्र बुन्दू शाह निवासी कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर मे रखी अलमारी खोलकर उसमे से नगदी व सोने-चांदी के आभूषण तथा एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 75/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में अभियुक्त रशीद उपरोक्त एवं प्रकाश मे आये अभियुक्त शाकिब पुत्र शाहिद निवासी मौ0 भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार किया गया तथा थाना रेहड पर मु0अ0सं0 76/24 धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। उपरोक्त दोनो अभियोग मे विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त दोनो अभियोगो में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.06.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे, नगीना जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 75/24 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 76/24 धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपीगण 1.राशिद पुत्र बुन्दू शाह व 2.शाकिब पुत्र शाहिद निवासीगण मौ0 भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 9,000/- रूपये (प्रत्येक को 4.5-4.5 हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण शाकिब व रशीद थाना रेहड के हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 क्रमशः 27ए व 31ए) अपराधी है। थाना रेहड पर चोरी/गैंगस्टर/अवैध शस्त्र आदि धाराओं मे अभियुक्त शाकिब के विरूद्ध एक दर्जन से अधिक तथा अभियुक्त रशीद के विरूद्ध आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. **हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रशीद** पुत्र बुन्दू शाह निवासी मौ0 भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर। **(हिस्ट्रीशीट सं0 31ए)**
2. **हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शाकिब** पुत्र शाहिद निवासी मौ0 भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर। **(हिस्ट्रीशीट सं0 27ए)**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर **दिनांक 24.06.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 122/25 धारा 61(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 08.03.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शराफत अली पुत्र शफीकूद्दीन, 2.श्रीमती फरीदा पत्नी शफीक अहमद निवासीगण ग्राम महदूदनसो थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 3.मौ0 जाकिर पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम महदूदनसो थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हाल पता विजय पार्क नया गांव पश्चिम, पापडी ठाणे वसई महाराष्ट्र द्वारा कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी की पैतृक सम्पत्ति का अभियुक्त शराफत व फरीदा के नाम पर फर्जी बैनामा कराया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 122/25 धारा 61(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 24.06.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त शराफत अली पुत्र शफीकूद्दीन निवासी ग्राम महदूदनसो थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शराफत अली पुत्र शफीकूद्दीन निवासी ग्राम महदूदनसो थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 हरस्वरूप शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. 3.आरक्षी मोनू थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना मण्डावर दिनॉक 24.06.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 126/25 धारा 109/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.06.2025 को वादी श्री शुभम पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रितिक उर्फ पव्वा पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर व 03 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा ग्राम शेखपुरा में दयालवाला मोड पर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 126/25 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 24.06.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 126/25 धारा 109/352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रितिक उर्फ पव्वा पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. रितिक उर्फ पव्वा पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रितिक उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 333/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 334/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 307/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 412/23 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
5.मु0अ0सं0 420/23 धारा 307/323/504 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
6.मु0अ0सं0 423/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
7.मु0अ0सं0 200/24 धारा 115(2)/352/351(2)(3)/109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर ।
8.मु0अ0सं0 254/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
9.मु0अ0सं0 17/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
10.मु0अ0सं0 126/25 धारा 109/352 बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री कुलबीर सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 1290 सचिन तोमर यूपी–112, जनपद बिजनौर।
3.हो0गार्ड देवेन्द्र कुमार यूपी–112, जनपद बिजनौर।